



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 125147

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 41315 वर्ष 2025

शकील और 3 अन्य

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादीगण

आवेदकगण के अधिवक्ता : सुशील कुमार पांडेय

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : संजय कुमार श्रीवास्तव, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 34

माननीय न्यायमूर्ति चवन प्रकाश

1. आज अनुपूरक शपथपत्र दाखिल किया गया, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।
2. संशोधित सूची में वाद पुकारा गया। प्रतिवादी पक्षकार संख्या-2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार पाण्डेय तथा राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
4. आवेदकों ने धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत इस न्यायालय के अंतर्निहित अधिकारिता का आह्वान करते हुए आरोप-पत्र दिनांक 2.4.2012 तथा संज्ञान आदेश दिनांक 6.7.2012 के साथ-साथ मुकदमा संख्या 927/9 वर्ष 2018 (पुराना मुकदमा संख्या 1173/9 वर्ष 2021) (राज्य बनाम शकील एवं अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या एन.सी.आर.-1/2012 से उत्पन्न हुआ है,

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



धारा 323, 427, 504, 506 भा.दं.सं., थाना शाहपुर, जिला मुजफ्फरनगर के अंतर्गत, जो सिविल जज (जू.डि.), न्यायालय संख्या-2, मुजफ्फरनगर के समक्ष लंबित है, की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को समझौते के आधार पर निरस्त किए जाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

5. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदकों एवं प्रतिवादी पक्षकार संख्या-2 ने न्यायालय के बाहर आपस में सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने विवाद का निपटारा कर लिया है। आवेदकों ने पक्षकारों के मध्य हुए समझौते की शर्तों के आधार पर कार्यवाही निरस्त किए जाने की प्रार्थना के साथ यह धारा 528 बी.एन.एस.एस. आवेदन इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। इस न्यायालय ने दिनांक 9.12.2025 के आदेश द्वारा पक्षकारों को पक्षकारों तथा समझौता आवेदन के सत्यापन हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था। विचारण न्यायालय ने दिनांक 14.5.2026 के आदेश द्वारा पक्षकारों तथा समझौता आवेदन का सत्यापन कर दिया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदकों एवं प्रतिवादी पक्षकार संख्या-2 ने मामले में समझौता कर लिया है तथा प्रतिवादी पक्षकार संख्या-2 आवेदकों के विरुद्ध मामले को आगे नहीं चलाना चाहता है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि आवेदकों एवं प्रतिवादी पक्षकार संख्या-2 ने समझौते के माध्यम से अपने विवाद का निपटारा कर लिया है और इस प्रकार प्रतिवादी पक्षकार संख्या-2 उक्त मामले को आवेदकों के विरुद्ध आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। प्रतिवादी पक्षकार संख्या-2 आवेदकों के विरुद्ध अभियोजन वापस लेने के लिए तैयार है और समझौते के दृष्टिगत यदि अभियोजन को आगे चलने दिया जाता है, तो इसका कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
6. विद्वान ए.जी.ए. ने प्रस्तुत किया कि दोनों पक्षकारों ने न्यायालय के बाहर अपने विवाद का निपटारा कर लिया है, अतः कार्यवाही को आगे जारी रखने का कोई कारण नहीं है।
7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **नरेंद्र सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य, (2014) 6 एस सी सी 466**, **पर्वतभाई आहिर उर्फ पर्वतभाई बनाम गुजरात राज्य (2017) 9 एस सी सी 641**, **ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) 10 एस सी सी 303** और **मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायणन (2019) 5 एस सी सी 688** के मामलों में स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया है कि कुछ संज्ञेय एवं अशमनीय अपराधों के संबंध में भी पक्षकारों के मध्य समझौता किया जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा **शैफुल्ला और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [2013 (83) एससीसी 278]** के मामले में दिए गए निर्णय का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त मामलों में प्रतिपादित विधि को विस्तार से स्पष्ट किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस सुविचारित मत का है कि उपर्युक्त मामले की कार्यवाही को आगे जारी रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
9. तदनुसार, आरोप-पत्र दिनांक 2.4.2012 एवं संज्ञान आदेश दिनांक 6.7.2012 तथा वाद संख्या 927/9 वर्ष 2018 (पुराना वाद संख्या 1173/9 वर्ष 2021) (राज्य बनाम शकील एवं अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या एन.सी.आर.-1/2012 से उत्पन्न हुआ है, धारा 323, 427, 504, 506 भा.दं.सं., थाना शाहपुर, जिला मुजफ्फरनगर के अंतर्गत, की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही **वर्तमान आवेदकों के संबंध में निरस्त की जाती है।**
10. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत यह आवेदन तदनुसार **स्वीकृत** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति चवन प्रकाश)

3 जून, 2026

एम.डी. फैसल

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”